



झारखण्ड सरकार  
कारा निरीक्षणालय

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

दूरभाष-0651-2400790, फ़ैक्स-0651-2400745

e-mail- ig-prison@jharkhandmail.gov.in, jharkhandprisons@gmail.com

राज्य के विभिन्न काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य)  
की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

आवेदन की अंतिम तिथि-21.08.2018

कारा निरीक्षणालय (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) झारखण्ड, राँची के अधीन राज्य के काराओं में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चिकित्सक (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के लिए कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय (नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0 गोलचक्कर, धुर्वा, राँची) में Online आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। Online आवेदन पत्र में वांछित सूचनाओं को अद्यतन करते हुए अद्यतन बायोडाटा तथा स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ यथा MBBS/MD/MS/Diploma की डिग्री, Internship completion Certificate, Permanent Registration Certificate with MCI/ State Medical Counsel, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की स्पष्ट पठनीय प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. योग्यता एवं मानदेय :

क्र०	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता (एम0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त)	रिक्तियाँ	मानदेय की राशि (मासिक)
1	2	3	4	5
1.	विशेषज्ञ चिकित्सक	एम0बी0बी0एस0 डिग्री के साथ एम0एस0/एम0डी0 की डिग्री अथवा एम0बी0बी0एस0 डिग्री के साथ डिप्लोमा	<ul style="list-style-type: none"><li>स्त्री रोग विशेषज्ञ-1 पद (Gynecologist Surgeon)</li><li>नेत्र रोग विशेषज्ञ-1 पद (Ophthalmologist Surgeon)</li><li>औषधि रोग विशेषज्ञ-1 पद (Physician General/Cardiologist)</li><li>मनः रोग विशेषज्ञ -1 पद (Psychiatrist)</li></ul> कुल - 4 पद	38,853.00 (MS/MD डिग्रीधारी) 37,895.00 (डिप्लोमाधारी)
2.	पैथोलॉजिस्ट	एम0बी0बी0एस0 डिग्री के साथ एम0 डी0 की डिग्री अथवा डिप्लोमा	02 पद	38,853.00 (MD डिग्रीधारी) 37,895.00 (डिप्लोमाधारी)
3.	सामान्य चिकित्सक	एम0बी0बी0एस0 डिग्री	33 पद	35,019.00

नोट -1. क्रमांक-1 एवं 2 के आवेदक द्वारा आवेदित पद के विषय में MD/MS/ Diploma की डिग्री अनिवार्य है।

2. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित/संशोधित मानदेय देय होगा। साथ ही सेवानिवृत्त आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।



2. रिक्त पदों का विवरण :

क्र0	पद का नाम	कुल पद की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1	पिछड़ा वर्ग-2
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पैथोलॉजिस्ट	02	01	01	—	—	—
2.	सामान्य चिकित्सक	33	19	10	02	01	01

3. कारावार रिक्ति :

क्र0	कारा का नाम	विशेषज्ञ चिकित्सक (अनुबंध)	पैथोलॉजिस्ट (अनुबंध)	सामान्य चिकित्सक (अनुबंध)
1	2	3	4	5
1	केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची	04	02	06
2	केन्द्रीय कारा, हजारीबाग	—	—	03
3	केन्द्रीय कारा, घाघीडीह-जमशेदपुर	—	—	01
4	केन्द्रीय कारा, पलामू	—	—	01
5	केन्द्रीय कारा, दुमका	—	—	01
6	केन्द्रीय कारा, गिरिडीह	—	—	01
7	मंडल कारा, धनबाद	—	—	01
8	मंडल कारा, चास-बोकारो	—	—	01
9	मंडल कारा, सिमडेगा	—	—	01
10	मंडल कारा, गुमला	—	—	01
11	मंडल कारा, लोहरदगा	—	—	01
12	मंडल कारा, लातेहार	—	—	01
13	मंडल कारा, चतरा	—	—	01
14	मंडल कारा, कोडरमा	—	—	01
15	मंडल कारा, साहेबगंज	—	—	01
16	मंडल कारा, पाकुड़	—	—	01
17	मंडल कारा, गोड्डा	—	—	01
18	मंडल कारा, जामताड़ा	—	—	01
19	मंडल कारा, गढ़वा	—	—	01
20	उपकारा, राजमहल	—	—	01
21	उपकारा, तेनुघाट	—	—	01
22	उपकारा, घाटशिला	—	—	01
23	उपकारा, मधुपुर	—	—	01
24	उपकारा, रामगढ़	—	—	01
25	उपकारा, खूँटी	—	—	01
26	ओपेन जेल, हजारीबाग	—	—	01
	कुल	04	02	33

नोट - रिक्ति की संख्या घट बढ़ सकती है।

4. अन्य शर्तें :

- (i) नियोजन एवं संविदा पर सेवा के लिए अधिकतम आयु-सीमा 65 वर्ष होगी।
- (ii) अनुबंध पर चयन एक वर्ष के लिए होगा। चयनित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में बंधपत्र (Agreement) हस्ताक्षरित करेंगे।
- (iii) काराधीक्षक द्वारा संतोषप्रद सेवा प्रतिवेदित होने पर यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अवधि के बाद पुनः नये सिरे से प्रत्येक वर्ष अनुबंध के आधार पर अवधि विस्तारित करने हेतु प्रस्ताव प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का समर्पित किया जायेगा। अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद अनुबंध स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके लिए अलग से किसी आदेश के निर्गत किये जाने की अपेक्षा नहीं रहेगी।
- (iv) संविदा के आधार पर चिकित्सकों की सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की नोटिस पर अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा। कारा सुरक्षा के बिन्दु पर यदि किसी स्तर पर किसी चिकित्सक के विरुद्ध प्रतिकूल सूचना प्राप्त होगी तो वैसी स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के /तुरंत के प्रभाव से अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा।
- (v) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को योगदान के समय Rs. 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर Indemnity Bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
- (vi) संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों/सामान्य चिकित्सकों पर राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय सुविधा, यात्रा भत्ता आदि लागू होगा। अन्य किसी अवकाश/भत्ता के हकदार नहीं होंगे।
- (vii) संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों/सामान्य चिकित्सकों का पेंशन संबंधी लाभ में हकदार नहीं होंगे।
- (viii) प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी के उपरांत रिक्त पदों के अनुरूप अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
- (ix) योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र यथा सभी शैक्षणिक, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र एवं उसकी अभिप्रमाणित प्रति तथा दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ ससमय उपस्थित होंगे। इस नियुक्ति में सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जायेगा। उक्त हेतु कोई यात्रा व्यय का वहन नहीं किया जायेगा।
- (x) चयनित उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होने का शपथ-पत्र तथा पासपोर्ट साईज का दो फोटो राजपत्रित पदाधिकारी का अभिप्रमाणित हो समर्पित करेंगे।
- (xi) आवेदक आवेदन पत्र भरते समय प्राथमिकता के क्रम में इच्छा क्रमानुसार तीन काराओं/जिला का नाम देंगे। इच्छित तीन काराओं/जिलों में रिक्ति अवशेष नहीं रहने की स्थिति में किसी अन्य जिला में पदस्थापन हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- (xii) उम्मीदवारों का चयन का आधार MBBS एवं MS/ MD की विश्वविद्यालय परीक्षाओं अथवा डिप्लोमा इत्यादि के प्राप्तांक प्रतिशत होगा। इसके आधार पर मेधा सूची बनायी जायेगी।




- (xiii) मेधा सूची के निर्धारण में यदि किसी दो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (xiv) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (xv) चिकित्सकीय जाँच – नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। उन्हें सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा।
- (xvi) नियोजन की प्रक्रिया में किसी प्रकार के वाद की स्थिति में गृह विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(xvii) आवेदन की प्रक्रिया:-

इच्छुक आवेदक द्वारा वेबसाइट- [http://recruitment.jharkhand.gov.in/Home\\_page.aspx](http://recruitment.jharkhand.gov.in/Home_page.aspx) पर दिनांक-06.08.2018 पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक-21.08.2018 अपराह्न 5.00 बजे तक आवेदन समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। यह विज्ञापन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के Website पर भी उपलब्ध है। व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु JAP-IT द्वारा निर्धारित शुल्क Rs. 100/- online देय होगा।

- (xviii) चयन प्रक्रिया में नियुक्ति नियमावली का पालन किया जायेगा। किसी प्रावधान में बाधा प्रतीत होने पर सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार निर्णय लिया जायेगा जो अंतिम होगा।

  
(हर्ष मंगला)  
कारा महानिरीक्षक,  
झारखण्ड, राँची।

## How to apply:-

1. Candidate has to register himself on recruitment portal using **Register tab** on Home Page.
2. After successful registration, candidate will get 6 digits numerical user id and default password. Registered candidates are requested to change their default password on immediate basis and not to share with anyone.
3. After getting user id and password, candidate should login as Applicant.
4. After login candidate has to fill all the required information.
5. Mandatory to fill and upload documents of:-
  - **Qualification** using **Add Qualifications** tab.
  - **Medical Council of India (MCI) Details** using **Add MCI details** tab.
  - **Internship details** using **Add Documents** tab.
6. Candidate should upload updated Resume (Bio data) having less than 1MB and .pdf file format.
7. Candidate should upload Caste and Residential certificate (if he belongs to either ST or SC or OBC reserved category) having less than 100 KB and .jpg file format.
8. After filling of information candidates have to apply for his respective posts using '**Applying For**' tab.
9. During Apply online process candidate has to pay **Rs. 100/-** through online payment gateway.
10. After successful online payment candidate will get payment receipt and his/her application process will be completed. Candidate should keep safely his/her **Applicant Req. ID**.
11. For any difficulty send email on [jhar.recruitment@gmail.com](mailto:jhar.recruitment@gmail.com) at least 1 day before closure of application deadline.